सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 22, गुरूवार, *शाके* 1941–मार्च 12, 2020 *Phalguna 22, Thursday, Saka 1941–March 12, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला नागौर

प्रारूप -7

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) के अधिन

प्रारंभिक अधिसूचना

नागौर, फरवरी 14, 2020

क्रमांक 136 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए मंगलाना-मकराना-बोरावड़ (SH-2B) मय मकराना-बिदियाद-परबतसर (SH-2D) सड़क के पुर्ननिर्माण /चौड़ीकरण/ विकसित किये जाने के लिए ग्राम गुणावती तहसील मकराना जिला नागौर मे कुल 0.019 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 विहित है प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की रिर्पोट प्रस्तुत की गई है।

मंगलाना-मकराना-बोरावड़ (SH-2B) मय मकराना-बिदियाद-परबतसर (SH-2D) सड़क सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई का सारांश निम्नानुसार है।

भूमि अर्जन स्वरूप 23 परिवार के प्रभावित होने की संभावना है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्धेश्य से उपखण्ड अधिकारी परबतसर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

अत: उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम गुणावती तहसील- मकराना जिला - नागौर में कुल 0.019 हैक्टयर भूमि अधिसूचित की जाती है।

प्रस्तावति भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है।

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ.	द.	पू.	प.
1	90	गुणावती	निजी	वाणिज्य प्रयो.	0.0037	1. टीकमचन्द पुत्र राजाराम लाहोटी रकबा 0.0344 है .	88	....	89	91

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ.	द.	पू.	प.
						श्यामसुन्दर पुत्र घीसालाल रकबा 0.0546 है .रामअवतार पुत्र घीसालाल रान्दड रकबा 0.0486 है . महेशचन्द पुत्र भंवरलाल महाजन रकबा 0.0129 है . सुनीलकुमार पुत्र ओमप्रकाश सारडा रकबा 0.0364 है . श्रीधर विनोदकुमार पि. सीताराम चौखडा रकबा 0.0243 है .रामजीलाल पुत्र छाजूलाल सारडा रकबा 0.0324 है . महावीरप्रसाद पुत्र मोहनलाल बिदादा सा . मकराना रकबा 0.0364 है हिस्सा - पूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण				
2	124	गुणावती	निजी	बारानी -2	0.0153	1. अब्दुलहकीम पुत्र हाजीअब्दुलकरीम हिस्सा -101/85608 जाति -भाटी सा . गुणावती खातेदार 2. छगनकंवर पत्नि भंवरसिंह हिस्सा - 84719/1284120 जाति -राजपूत सा .देह	123	125	241	88

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ.	द.	पू.	प.
						खातेदार 3. छगनकंवर पत्नि मदनसिंह हिस्सा - 84719/770472 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार 4. जमीला पत्नि मुईनुदीन हिस्सा - 101/85608 जाति - भाटी सा .गुणावती खातेदार 5. पृथ्वीराजसिंह पुत्र मनोहरसिंह हिस्सा - 84719/2568240 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार 6. प्रेमकंवर पत्नि मनोहरसिंह हिस्सा - 84719/2568240 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार 7. मुख्तयार अहमद पुत्र हाजीअब्दुलकरीम हिस्सा -101/85608 जाति -भाटी सा . गुणावती खातेदार 8. महिपालसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा - 84719/770472 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार				

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ.	द.	पू.	प.
						9. मोहम्मदअयूब पुत्र हाजीअब्दुलकरीम हिस्सा -101/85608 जाति -भाटी सा . गुणावती खातेदार 10. रामसिंह पुत्र बंकटसिंह हिस्सा - 84719/256824 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार राहिन हिस्सा- 84719/256824 (पूर्ण खाता (दी नागौर सेण्ट्रल कॉ -ऑपरेटिव बैंक लि .शाखा मकराना 11. श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा - 485/85608 जाति - राजपूत सा .देह खातेदार 12. श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा - 84719/1284120 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार 13. शिवराजसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा - 84719/770472 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार				

क्र. स.	खसरा सं.	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षैत्र (हेक्टयर में)	हितबद्ध् व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
							उ.	द.	पू.	प.
						राहिन हिस्सा-84719/770472 (पूर्ण खाता (दी नागौर सेण्ट्रल कॉ -ऑपरेटिव बैंक लि .शाखा मकराना 14. सज्जनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा - 84719/1284120 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार 15. सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा - 84719/1284120 जाति -राजपूत सा .देह खातेदार				
कुल					0.019					

यह अधिसूचना इसमे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है। भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मकराना, जिला- नागौर एवं परियोजना निदेशक, (**पी.पी.पी**) **सा.नि.वि. लक्ष्मणगढ** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मकराना, जिला- नागौर और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना निदेशक, (**पी.पी.पी**) **सा.नि.वि. लक्ष्मणगढ** को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और आपके कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कौई भी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मकराना, जिला- नागौर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60

(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, मकराना, जिला- नागौर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जा सकेगें।

मनवर अली
उप सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान ,जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।